

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 17/निगरानी/शिवपुरी/भू0रा0/2017/3389

26

श्री रमेश चन्द्र शर्मा द्वारा आज दि 19-9-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-9-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(E 29.09.17)

filed by  
MP Bhadracharya  
19/9/17

श्रीमती कुसुम पत्नी स्व0 संजीव कुमार दुबे, आयु 52 वर्ष, निवासी ग्राम बछौरा, तहसील व जिला शिवपुरी, हाल निवासी कुबेर आश्रम के पास, इन्द्रानगर, ठाटीपुर, मुरार, ग्वालियर म0प्र0 — निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती लीलावती पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द्र दुबे, आयु 72 वर्ष, रिटायर्ड शिक्षिका,
2. संदीप दुबे पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द्र दुबे निवासीगण ग्राम चिटौरा चिटोरी, तहसील व जिला शिवपुरी म0प्र0
3. राजीव दुबे पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द्र दुबे, शासकीय सेवक, निवासी ग्राम बछौरा, तहसील व जिला शिवपुरी, हाल निवासी द्वारा श्रीमती किरण दुबे, शिक्षिका, सरकारी क्वार्टर किलेपाल, जिला जगदलपुर, छत्तीसगढ़
4. सुधीर दुबे पुत्र स्व0 श्री रमेशचन्द्र दुबे, शासकीय सेवक, निवासी कत्था मिल, ए0बी0 रोड, राम स्टील फैक्ट्री के पास, शिवपुरी-म0प्र0
5. घनश्याम शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद शर्मा, निवासी शांतिनगर कॉलोनी, टी.बी.टॉवर के पास, शिवपुरी म0प0
6. गिराज शर्मा पुत्र नकटूराम शर्मा, निवासी धर्मशाला रोड, शिवपुरी म0प्र0

— रिस्पोंडेन्ट्स

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 57/2015-16/अ-27 आदेश दिनांक 16.09.2016 से व्यथित होकर।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

संक्षिप्त तथ्य:-



1. यह कि, निगरानीकर्ता/आवेदिका द्वारा अपनी शामिलाली ग्राम बछौरा की भूमि सर्वे क्र0 605 रकवा 0.229 है0 का बंटवारा कराने हेतु म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / शिवपुरी / भू.रा. / 2017 / 3389

श्रीमती कुसुम विरुद्ध लीलावती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार शिवपुरी, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 57/2015-16/अ-27 में पारित आदेश दिनांक 16-09-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p></p> <p> (शे0के0 जैन) सदस्य</p>	